प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां
(जुलाई, 2017)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 6-7 जुलाई, 2017 के दौरान तियानजिन, चीन में परम्परांगत औषधियों पर 7वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक तथा ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संक्रामक रोगों का निवारण एवं रोकथाम, गैर-संचारी रोगों, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, उपेक्षित ऊष्णकटीबंधीय रोगों, स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य से संबंधित एसडीजी जैसे विभिन्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य मामलों के संबंध में ब्रिक्स की सहयोगी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों ने तियानजिन विज्ञप्ति को भी अंगीकार किया जिसमें उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य विषयक क्षेत्रों के बारे में स्वास्थ्य और कार्य-योजनाओं पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सहयोग हेतु ब्रिक्स ढांचे पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
2. 12 जुलाई, 2017 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री ने 2017 तक देश से मलेरिया के उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के आधार पर मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति योजना 2017-2022 (एनएसपी) प्रारंभ की।
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में उत्तम एवं अनुकरणीय पारिपाटियों और नवाचारों के संबंध में श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा की अध्यक्षता में चौथा सम्मेलन इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया।
4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2000 में दिनांक 31.07.2017 की राजपत्र अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया हैं जिसके तहत अब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्रीय सरकार के चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और नामित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राज्यों की भागीदारी की 50% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए सभी सुपर स्पेशियल्टी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विस्तृत स्पेशियल्टी पाठ्यक्रमों की भी काउंसिलिंग करेगा। राज्य सरकारें, उनके द्वारा स्थापित चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, नगरपालिका निकायों, ट्रस्ट, सोसाईटी, कंपनी अथवा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में डिप्लोमा तथा एमडी/एमएस में प्रवेश हेतु संयुक्त काउंसिलिंग आयोजित करेंगी।
5. शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए प्रथम वर्ष एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सारणी जारी करने के लिए दिनांक 04.07.2017 की राजपत्र अधिसूचना के तहत स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में संशोधन किया गया है।
6. मेडिकल कालेजों/संस्थाओं द्वारा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए अतिरिक्त उपकरण एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यवहार्य और समयबद्ध कार्यक्रम के लिए निर्धारित ''नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ विनियमन, 2000'' में प्रावधान किया गया था। इसे दिनांक 06.07.2017 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
7. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तिमोर-लेस्ते के बीच समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को 12 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।

8. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और फिलिस्तीन के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को 12 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदित कर दिया है। अन्य समझौता ज्ञापन पर 16 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

9. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त संकल्प घोषणा-पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को 12 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में कार्योत्तर अनुमोदित कर दिया है। उक्त जेडीआई पर 1 जून, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

10. 85 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में मान्यता हेतु अधिसूचनाएं/ पत्र जारी किए गए।

11. 3 (तीन) दंतचिकित्सा कालेजों के संबंध में क्षमता वृद्धि में बीडीएस डिग्री के मान्यता-पत्र जारी किए गए।

12. 4 (चार) दंतचिकित्सा कालेजों के संबंध में एमडीएस डिग्री की मान्यता हेतु अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

13. दंतचिकित्सा अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत 1 (एक) सदस्य के संबंध में डीसीआई सदस्यता हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है।

14. नए दंतचिकित्सा कालेज स्थापित करने/शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 10 आवेदनों को दंतचिकित्सा अधिनियम, 1984 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमनों के अनुसार भारतीय दंतचिकित्सा परिषद को अग्रेषित कर दिया गया है।

15. साझा काउंसिलिंग के संबंध में संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (8वां संशोधन) विनियमन, 2017; दाखिले को रोकने के संबंध में डीसीआई (9वां संशोधन) विनियमन, 2017; अस्पताल/मेडिकल कालेज संबद्धता के बारे में डीसीआई (11वां संशोधन) विनियमन, 2017 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

16. विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन करने हेतु 11 जुलाई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

17. 80 वर्ष तथा उसके अधिक आयु के सीजीएचएस लाभर्थियों के लिए विशेष प्रावधानों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

18. दृष्टिहीनता पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जुलाई, 2017 माह में, मोतियाबिंद के लगभग 4.30 लाख ऑपरेशन किए गए स्कूल के बच्चों को लगभग 15,384 चश्मे नि:शुल्क वितरित किए गए तथा दान की गई लगभग 6,932 आंखों को एकत्र किया गया।

19. प्रभावी भागीदारिता के माध्यम से तपेदिक के उन्मूलन हेतु केंद्र राज्य शिखर सम्मेलन के बारे में 28-29 जुलाई, 2017 को नागपुर में आयोजित कार्यशाला की माननीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा अध्यक्षता की गई तथा इसमें नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, कार्यक्रम प्रबंधकों, विकास भागीदारों तथा मीडिया और सिविल सोसाईटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

क्षयरोग के संदिग्ध रोगियों का पता लगाने के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनिंदा गए 100 जिलों में 15-31 जुलाई, 2017 तक सक्रिय रोगी पहचान अभियान चलाया गया।

******